



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032023-244714
CG-DL-E-27032023-244714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1378]
No. 1378]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2023/चैत्र 6, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2023/CHAITRA 6, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

का.आ. 1431(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

- (1) इस आदेश को सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
2. सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैरा 2 में द्वितीय परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को शामिल किया जाएगा, नामतः:-

“बशर्ते कि भारत में प्रति वित्तीय वर्ष विनिर्मित दस हजार वाहनों के विनिर्माण के लिए वाहन निर्माता द्वारा सेफ्टी ग्लास के आयात पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि वाहनों की मरम्मत या बिक्री के बाद सेवा के उद्देश्य से प्रति वित्तीय वर्ष 5,000 सेफ्टी ग्लास के आयात पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।”

[फा. सं. 14031/99/2020-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 12 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1045 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 2018 (अ) दिनांक 23 जून, 2020, अधिसूचना संख्या का.आ. 3190 (अ) दिनांक 18 सितंबर, 2020, अधिसूचना संख्या का.आ. 902(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2021 और अधिसूचना संख्या 620(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिए इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the, 24th March, 2023

S.O. 1431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Safety Glass (Quality Control) Order, 2020, namely: -

1. (1) This Order may be called the Safety Glass (Quality Control) Amendment Order, 2023.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Safety Glass (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 2, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that nothing in this Order shall apply to import of safety glass by a vehicle manufacturer for manufacturing up to ten thousand vehicles manufactured in India per financial year:

Provided also that nothing in this Order shall apply to import of up to 5,000 number of safety glass per financial year for the purpose of repairs or after sales service of vehicles.”.

[F. No.14031/99/2020-CI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1045(E), dated the 12th March, 2020 and subsequently amended vide notification number S.O. 2018(E), dated the 23rd June, 2020, notification number S.O. 3190 (E), dated the 18th September, 2020, notification number S.O. 902 (E), dated the 25th February 2021 and notification number S.O. 620(E) dated the 10th February, 2022.